संख्या 630/ I/2009-03(1)/08/2009

प्रेषक,

सौरभ जैन
अपर सचिव
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

निदेशक
उरेडा
देहरादून।

ऊर्जा विभाग देहरादून दिनांक 24 अप्रैल,2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2008, दिनांक 25.3.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को रू० 6000 हजार (रू० साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि की फांट निदेशक, उरेडा, देहरादून द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिये किया जायेगा।

2- स्वीकृति धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त देहरादून कोषागार से मासिक रूप से वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली आदि यथाप्रभावी नियमों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- अगली किश्त तभी स्वीकृत की जायेगी, जब उरेडा द्वारा वास्तविक व्यय का विवरण, पूर्ण स्वीकृत एवं अब स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उसकी उपयोग की स्थिति और उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7- वेतन आदि वचनवद्ध मदों को छोड़कर शेष सभी मदों में लागत बचत (Cost Saving) के बिन्दु चिन्हित करते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में बचत लक्ष्य निर्धारित कर तदानुसार मितव्ययता/बचत सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः.....2

8– अग्रेत्तर धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब उरेडा को वर्ष 2009–10 में विद्युत विक्रय, सर्विस चार्ज आदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के अनुमान प्रस्तुत कर दिये जावेंगे तथा 2008–09 तक इन स्रोतों से प्राप्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष वर्तमान में उरेडा पर उपलब्ध धनराशि के प्रमाणित विवरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

9– अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वर्ष 2008–09 तक अवमुक्त धनराशि के विरूद्ध अर्जित ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि भी राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–21 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्त्रोत–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03–प्रशासनिक व्यय–0301–उरेडा के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 11/xxvII(2)/2009 16 अप्रैल, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

संख्या 630/ I/2009–03(1)/08/2009 तदिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
4– समस्त परियोजनाधिकारी, उरेडा।
5– वित्त अनुभाग–2
6– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
7– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल हेतु।

(एम0एम0सेमवाल)
अनु सचिव।